न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–63/2017

उनवान

सुरजमल पुत्र गोमाराम, उम्र 38 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज0)।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. बजरंगलाल पुत्र गोमाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज0)।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

निर्णय दिनांक:–11.01.2019

निर्णय

वादी ने वाद इस आशय का पेश किया है कि वादी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का निवासी है जिसकी खातेदारी भूमि ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के हाल खाता सं0 138 के खसरा नं0 87 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 89 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 90 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 91 रकबा 0.32 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.85 है0 में हिस्सा 1/4 भाग निहीत है, शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 व अन्य सहखातेदारों का राजस्व रिकॅार्ड अनुसार निहीत है। खदी का नाम उक्त खाता सं0 138 व राजस्व रिकॅार्ड में सहवन से सुरजा पुत्र गोमा दर्ज हो गया। सभी दस्तावेजों में सुरजमल पुत्र गोमाराम नाम दर्ज है। राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, स्कूल रिकॅार्ड में सुरजमल पुत्र गोमाराम ही दर्ज है तथा ग्राम किशनपुरा में ही स्थित खातेदारी भूमि खाता सं0 342 व 165 में भी वादी का नाम सुरजमल पुत्र गोमाराम दर्ज है। अतः वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के हाल खाता सं0 138 के खसरा नं0 87 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 89 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 90 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 91 रकबा 0.32 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.85 है0 में हिस्सा 1/4 भाग में वादी का नाम सुरजा पुत्र गोमा के स्थान पर सुरजूल पुत्र गोमाराम की घोषणा की जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकॅार्ड में इन्द्राजात दुरुस्ती की जावे।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 2 द्वारा जवाब वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वादी का वाद पत्र यदि न्यायालय श्रीमान द्वारा डिक्री फरमाया जाता है तो मिन जवाबदाता को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा फर्द मौका मजमेआम रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती से सम्बन्धित है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम की इन्द्राज दुरुस्ती करवाने का अनुतोष चाहा गया है। वादी व प्रतिवादी आपस में सहखातेदार हैं। न्यायालय अभिमत में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के हाल खाता सं0 138 के खसरा नं0 87 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 89 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 90 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 91 रकबा 0.32 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.85 है0 में हिस्सा 1/4 भाग में वादी का नाम सुरजा पुत्र गोमा, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर के स्थान पर सुरजमल पुत्र गोमाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की आज्ञा दी जाती है।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ
पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–**63/2017**

उनवान

सुरजमल पुत्र गोमाराम, उम्र 38 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज0)।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. बजरंगलाल पुत्र गोमाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज0)।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन व वकील प्रतिवादी मुददई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के हाल खाता सं0 138 के खसरा नं0 87 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 89 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 90 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 91 रकबा 0.32 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.85 है0 में हिस्सा 1/4 भाग में वादी का नाम सुरजा पुत्र गोमा, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर के स्थान पर सुरजमल पुत्र गोमाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की आज्ञा दी जाती है।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....
.... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 11.01.2019 को जारी किया गया।

मोहर **दस्तखत** सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)

ओहदा..........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner